

प्रधान नोडल अधिकारी का विवरण

श्री सौरभ कुमार

नोडल अधिकारी

अवांती फ़ाइनेंस

ईमेल: saurabh.kumar@avantifinance.in

फोन: +91 98450 93467

ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

यदि शिकायत/ग्राहक शिकायत एक महीने के भीतर निवारण नहीं हो, या उत्तर से संतुष्टि न हो, तो आप RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme) के तहत Ombudsman, RBI से शिकायत कर सकते हैं – <https://cms.rbi.org.in/> पर। संदर्भ: CEPD.PRD.No.S873/13.01.001/2021-22, दिनांक: 12 नवम्बर 2021।